Sl. No.	Name of the Hospital	Beds con-structed	Genl.	T.B.
WEST BENGAL:				
112.	ESI Hospital, Asansol	150	60	90
113.	ESI Hospital, Belur Belly	150	—	150
114.	ESI Hospital, Baltikuri	416	416	—
115.	ESI Hospital, Gaurhati	216	216	—
116.	ESI Hospital, Budge-Budge	300	300	—
117.	ESI Hospital, Kalyani	266	266	—
118.	ESI Hospital, Kamarhati	325	325	—
119.	ESI Hospital, Maniktola	500	500	—
120.	ESI Hospital, Sealdah	250	250	—
121.	ESI Hospital, Ulubaria	216	166	50
122.	ESI Hospital, Serampore	216	216	—
123.	ESI Hospital, Bandel	250	—	250
124.	ESI Hospital, Thakurpukur	300	300	—
	TOTAL:	21475	19450	2025

B. Statement showing the number of existing Hospitals under different welfare funds.

1.	Central Hospital, Gangapur	Bhilwara	30 Beds	LSDM
2.	Central Hospital, Karma	Karma	100 Beds	MICA
3.	Regional Hospital, Tisri	Karma	10 Beds	MICA
4.	Central Hospital, Kalichedu	Hyderabad	30 Beds	MICA
5.	Central Hospital, Joda	Bhubaneswar	50 Beds	IRON ORE
6.	Central Hospital, Kariganur	Bangalore	25 Beds	IRON ORE
7.	Central Hospital, Barajamda	Karma	50 Beds	IRON ORE
8.	Central Hospital, Tiska (Goa)	Nagpur	60 Beds	IRON ORE
9.	Central Hospital, Balaghat	Jabalpur	50 Beds	IRON ORE
10.	Central Hospital, Mysore (at present functioning as (30 Beds). Inaugrated to be operated at 50 Bedded Hospital.	Bangalore	50 Beds	BEEDI
11.	T.B. Hospital, Karma	Karma	50 Beds	BEEDI
12.	10-Bedded Hospital, Gursahaiganj	Allahabad	10 Beds	BEEDI

खेतिहर मजदूरों के लिए मजदूरी की दरें

234. **श्री रामजीलाल:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेतिहर मजदूरों की अनुमानित संख्या क्या है और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उनके लिए मजदूरी की दरें क्या है और उनको अपनाने का मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या सरकार इन दरों से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन दरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है और कब तक?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (घ) कृषि श्रमिकों की राज्य-वार संख्या और कृषि श्रमिकों की अकुशल श्रेणी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)** भिन्न-भिन्न समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों के

निर्धारण के लिए कोई एक समान मानदण्ड निर्धारित नहीं है। तथापि, भारतीय श्रम सम्मेलन, 1957 द्वारा इस प्रयोजनार्थ सिफारिश किए गए मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि मजदूरी दर तीन उपभोग इकाइयों वाले परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन और व्यय की अन्य विविध मदों संबंधी न्यूनतम व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। केन्द्रीय सरकार कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित दर से संतुष्ट नहीं है और उनसे अनुरोध करती रही है कि वे 35/- रु० प्रति दिन से कम दर निर्धारित न करें। इसके अलावा सरकार उनसे यह अनुरोध भी करती रही है कि वे मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के संबंध में विभिन्न मंचों और निकायों द्वारा सिफारिश किए गए दिशा निर्देशों तथा मानकों का पालन करें। सिफारिश की गयी कार्रवाइयों में मजदूरी को न्यूनतमदरों में नियमित रूप से संशोधन किया जाना तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ता के घटक का प्रावधान शामिल है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि कर्मकारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि कर्मकारों** की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1. आंध्र प्रदेश	11625	30.00 रु० से 36.50 रु० प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (12.2.96)
2. अरुणाचल प्रदेश	20	21.00 रु० से 23.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3. असम	845	1134.00 रु० प्रति माह * या 984.00 रु० प्रतिमाह जमा भोजन आश्रय और कपड़े (1.8.89)
4. बिहार	9513	27.30 रु० प्रतिदिन (21.12.95)
5. गोवा	35	46.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)
6. गुजरात	3231	34.00 रु० प्रतिदिन (1.4.96)
7. हरियाणा	897	51.52 रु० प्रतिदिन * भोजन सहित या 55.52 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.1.1996)
8. हिमाचल प्रदेश	59	45.75 रु० प्रतिदिन (1.3.96)
9. जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	रु० 30.00 प्रतिदिन (13.3.95)
10. कर्नाटक	5000	26.00 रु० से 35.35 रु० प्रतिदिन (28.3.94)
11. केरल	2120	30.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए 40.20 रु० प्रतिदिन भारी कार्य के लिये (31.3.92)
12. मध्य प्रदेश	5863	38.50 रु० प्रतिदिन * (1.4.96)
13. महाराष्ट्र	8313	20.00 रु० से 29.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (26.6.94)
14. मणिपुर	47	47.65 रु० प्रतिदिन* पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 44.65 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के भिन्न क्षेत्रों के लिए (8.7.95)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि कर्मकारों** की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
15.	मेघालय	89	35.00 रु॰ प्रतिदिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	10	35.00 रु॰ प्रतिदिन (11.6.93)
17.	नागालैंड	7	25.00 रु॰ प्रतिदिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	2977	30.00 रु॰ प्रतिदिन (15.8.96)
19.	पंजाब	1453	51.00 रु॰ प्रतिदिन* भोजन सहित 58.28 रु॰ प्रतिदिन बिना भोजन (1.7.95)
20.	राजस्थान	1392	32.00 रु॰ प्रतिदिन (जनवरी, 1995)
21.	सिक्किम	13	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	7899	20.00 रु॰ प्रतिदिन (8.4.93)
23.	त्रिपुरा	188	26.65 रु॰ प्रतिदिन (15.5.95)
24.	उत्तर प्रदेश	7833	33.00 रु॰ प्रतिदिन से 35.00 रु॰ प्रतिदिन (7.1.92)
25.	प॰ बंगाल	5055	40.00 रु॰ प्रतिदिन* (31.12.95)
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	37.00 रु॰ प्रतिदिन (अंडमान) 40.00 रु॰ प्रतिदिन (निकोबार) (15.8.94)
27.	चंडीगढ़	2	52.00 रु॰ प्रतिदिन* भोजन सहित या 58.64 रु॰ प्रतिदिन बिना भोजन (4.11.95)
28.	दादरा और नगर हवेली	6	40.00 रु॰ प्रतिदिन (18.5.95)
29.	दिल्ली	25	64.50 रु॰ प्रतिदिन* (1.2.94)
30.	दमन और द्वीव	1	35.00 रु॰ प्रतिदिन (8.5.95)
31.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	30.00 रु॰ प्रतिदिन (1.3.93)
32.	पांडिचेरी	77	
	(i) पाडिचेरी क्षेत्र		20.00 रु॰ से 22.00 रु॰ प्रतिदिन (24.7.95)
	(ii) माहे क्षेत्र		30.00 रु॰ प्रतिदिन हल्के कार्य के लिये 40.20 रु॰ प्रतिदिन भारी कार्य के लिये (24.7.95)
	(iii) यनम क्षेत्र		19.25 रु॰ से 26.25 रु॰ प्रतिदिन (24.7.95)
	(iv) कराइकल		20.00 रु॰ 22.00 रु॰ प्रतिदिन (24.7.95)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र	उपलब्ध नहीं	56.09 रु॰ से* 63.09 रु॰ प्रतिदिन (1.10.96)

टिप्पणी: (1) जहां प्रावधान हो न्यूनतम मजदूरी में परिवर्ती महंगाई भत्ता शामिल है।

(2) कालम (3) के अंतर्गत कोष्ठक में दी गई तिथि मूल मजदूरी में संशोधन की पिछली तिथि दर्शाती है।

(3) * मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

** स्रोत—जनगणना, 1991